Government of Rajasthan Home (Gr - V) Department

No. F-9(16) Home-5/2020

Jaipur dated 27.07.2020

NOTIFICATION

In continuation of this department's notification even number dated 3.5.2020, 12.5.2020 and 21.5.2020, in exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No.1 of 2020), the State Government hereby authorizes Chief Executive Officer of Zila Prasid and Block Dovelopment Officer, within their respective jurisdiction in rural area, to compound the offences committed under section 4 of the said Ordinance, by violating the order or regulation prohibiting the action specified in column 2 of the schedule given below for the amount specified against each of them in column 3 of the said schedule.

schedule

S.No	offence	Amount in Rupees for which the offence is to be compounded
1	2	3
1	Any person not wear face mask or face cover (nose and mouth covered properly) in also public or work place	200
2	Selling any item by a shopkeeper to a person not wearing face mask or face cover	500
3	Any person found spitting in public place	200
4	Any person consuming liquor ,paan, gutka, tobacco in public place	500
5	Any person not maintaining social distancing (minimum 6 feet from the other person) in public place	100
6	Organizing any marriage related function or gathering without prior information in writing to the Sub Divisional Magistrate or not maintaining social distancing during that function	5000
7	Organizing any marriage related function and having more than 50 persons	10000

By Order of the Governor,

Secretary to the Government.

Copy for information and necessary action to the following:-

1. Secretary to Governor, Rajasthan.

2. Principal Secretary to Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.

3. Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.

4. All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Rajasthan.

5. Principal Secretary, Law (Codification), Rajasthan, Jaipur.

6. Director General of Police, Rajasthan, Jaipur.

7. All Divisional Commissioner, Rajasthan, Jaipur.

8. All Inspector General of Police/Deputy Inspector General of Police, Range.

9. Commissioner of Police, Jaipur/Jodhpur.

10. Director, Prosecution, Rajasthan, Jaipur.

11. All Collectors and District Magistrates, Rajasthan.

12. All Distt. Superintendents of Police/DCPs of Jaipur/Jodhpur.

13. Director, Information and Public Relation Department for its wide publicity.

14. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur.

(Ravi Sharma)

Sr. Deputy Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार गृह (गुप-5) विभाग

सं. एफ. 9(16)गृह-5/2020

जयपुर, दिनांक: 27.07.2020

अधिसूचना

राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020, 12.05.2020 एवं 21.05.2020 की निरन्तरता में राज्य सरकार, जिला परिषद के समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों को नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट कृत्यों को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश या विनियम के अतिक्रमण द्वारा उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अधीन कारित अपराधों का, उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रक्तम पर शमन करने हेतु, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इसके द्वारा प्राधिकृत करती है:-

अनुसूची

ā	ह.सं.	. अपराध	रुपये में रकम, जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है	
1		2	3	
	1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्य स्थल पर फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से दका हो) नहीं पहने हुए हो।	200/- रुपये	
2	2	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना।	500/- रुपये	
3.		कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर।	200/- रुपये	
4.	;	कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटका या तम्बाक् का उपभोग करते हुये पाया जाने पर।	500/- रुपये	
5.	c	मोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100/- रुपये	
6.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से संबंधित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखना।		5000/- रुपये	
	विव ट्यवि	ाह से संबंधित समारोह आयोजन, जिसमें 50 से अधिक केत हो।	10000/- रुपये	

राज्यपाल के आदेश से,

有

(एन.एल.मीना) शासन सचिव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
- 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 5. प्रमुख शासन सचिव, विधि (संहिताकरण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस, रेंज।
- 9. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
- 10. निदेशक, अभियोजन, राजस्थान।
- 11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर, राजस्थान।
- 12. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस, जयपुर/जोधपुर।
- 13. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार करने हेतु।

14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

(रवि शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव।